## राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प-5 (3) न वि.वि./३/९९

1.

िनांका: 7.1.2000

राज्य सरकार के आदेश फ़र्मांक प-5 (2) निर्णाण/3/99 दिनांक 15.11.99 द्वारा कृषि भूमि के निरमन सम्बन्धी कार्य में दिन प्रतिदिन आने वाली खाधाओं के निराकरण हेतु शासन सच्चिव नगरीच विकास की अध्यक्षता में गठित एम्पावर्ड कमेटी की तृतीय वैठक दिनांक 31.14.99 में लिये गई निर्णयों की अनुप्रतिन में निर्मालिखत आदेश जारी किये जाते हैं।

गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजनाओं में स्थित राजकीय भूमि, अवाप्तश्रदा भूमि (मुआवजा भुगतान की गई) तथा खातेदार से एग्रीमेन्ट के आधार पर कुछ की गई भूमि की प्रस्तुत योजना क्षेत्रफल में चिन्हित करने एवं क्रय शुदा भूमि के खसरी वाउण्ड्री से बाहर के क्षेत्रफल में काटे गये भुखण्डों का विनिश्चय करने एवं तदनुसार दरों की गणना करने के लिए योजना मानचित्र (स्कीम प्लान) पर खमरा सुपरइग्योज करना आवश्यक है। तकनीवी रूप से अनुमोदित आवासीय योजनाओं पर उपतानुसार खसरा नम्बरों को सपरहम्योज कर योजनकर द्रों की गणना करने में काफी समय लगने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में खातेदार के हिस्से की भूमि क्रम की गई है, उसमें हिस्सेदार के कब्बे के ख़सरा कब्बी ्का प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण खसरा मुपर इम्मीजिशन संभव नहीं है। अतः एम्बावर्ड कमेटी की प्रथम बैठक दिनांक 22.11.99 एवं विभाग के पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 23.12.99 के विन्तु संख्या 3, 4 व 5 भेर निर्णय को रिव्यू करते हुए यह निर्णय लिया गया कि सहकारी समिति की तदानीकी रूप से अनुमोदित योजनाओं के मानवित्ते के अनुसार योजना क्षेत्रफल में खातेदार से एग्रीमेन्ट के आधार पर छय की गई भूमि से जितनी आधिक भूमि अनुमोदित योजना मानचित्र के क्षेत्रफल में सम्मिलित है, उस अतिरिक्त क्षेत्रफल की राजकीय भूमि होने अथवा खातेदारी की भूमि को भू-राजस्व अधिनयम की धारा 90 (बी) की प्रभावशीलता के कारण प्राधिकरण में निहित मानते हुए राजकीय भूमि माना जावे। सत: योजना मार्चित्र के इस अतिरिक्त क्षेत्रफल की राजकीय भूमि के रूप में देव भूनि की कीमत की राशि को शेष भृति की सामान्य नियमन राशि के हिसाव से देय सांश के योग को पास्ति योजना मा चित्र के सलेबल ऐरिया एवं समस्त योजना मानचित्र के क्षेत्रकल के अनुपात से गुणा करते हुए इसे सेलेयल एरिया से विभाजित किया जाकर प्रति वर्गगज नियमन राशि की गणना की जाटर योजनावार दरों की गणना की जावे। इस प्रकार राजकीय भूमि का जो अनुपात दोजना के सुविधा क्षेत्र में गया, उसकी कीमत नहीं ती जावेगी। इसी प्रकार खातेदारी की भी सुविधा क्षेत्र में गई भूमि पर कोई नियमन शुल्क देय नहीं होगा।

उदाहरणा पदि किसी योजना के पारित योजना मानचित्र का कुल क्षेत्रफल 10,000 वर्गगज है। इसमें 2000 वर्गगज राजकीय भूमि/अवाप्तशुदा (मुआवजा भुगतान की गई) अथवा क्रय शुदा क्षेत्रफल से अधिक खातेदारी भूमि है और 8000 वर्गगज खातेदारी को क्रय शुदा भूमि है। यदि राजकीय भूमि की कीमत अ45.00 प्रति वर्गगज है और सामान्य निमनन सारि 30.00 रुपये प्रति वर्गगज है तो राजकीय भूमि की कीमत 2000×345=6,90,000.00 होगी। तथा खातेदारी की भूमि की कीमत 8000×90=7,20,000.00 रुपये होगी। इन दोनों राशियों का योग 6.90,000.00-7,20,000.00=14,10,000.00 रुपये होगी। यदि सेलेबल एरिया (प्लोटेड एरिया) 6.0 प्रतिशत है तो प्लोटेड क्षेत्रफल 6000 वर्ग होगा। अतः योजना की प्रति वर्गगज नियमन दर होगी:

14.10,000 × 6000/10,000 ------ = 141.00 प्रति वर्गगज 6000

- वर्ष 1994 में जिन प्रकरणों में देय सम्पूर्ण रूपान्तरण शुल्क, परिधीय शुल्क, विकास शुल्क) जमा करा दी गई भी. परन्तु शास्ती 75 प्रतिशत ही जमा करवाई गई जबिक मौके पर निर्माण होते के कारण शास्ती रूपान्तरण शुल्क की 100 प्रतिशत देव थी। अनु इन प्रकरणों में शास्ती की शेए 25 प्रतिशत राशि मय व्याज बसूल कर आवंटन/नियमन के पट्टे जारी किये जावें: अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुसार किसी भूखण्ड के साईज एवं सीसाइटी द्वारा जारा आयंटन है अथवा साईट प्तान में अंकित भूखण्ड राईज में अंतर है, उन मामलों में प्राधिकरण द्वारा अनु गोदिन भूखण्ड साईज एवं सीसप्रयटी आवंटन पत्र अथवा साईट एतान में से जो भी कम हो, उसके साईज के अनुसार भूखण्ड का नियमन किया जाकर आवंटन पत्र जारी किया जा रहा है। इसमें कुछ मामलों में साईट प्लान में आवंटन पत्र से क्षेत्रफल अधिक है, परन्तु मोंके पर इतना ही कब्जा है। उक्त क्षेत्रफल भी अनुभोदित मानचित्र के क्षेत्रफल से कम होने पर भूखण्ड के साईट प्लान के क्षेत्रफल के अनुसार नियमन करा पट्टा जारी किया जावे। जिन मामलों में साईट प्लान/आवंटन पत्र में क्षेत्रफल अनुमोदित मानचित्र के साईज से अधिक हैं, अथवा भूखण्डेंधारी का आवंटन पत्र/अनुमोदित मानचित्र से अधिक कब्जा है और भूखण्डधारी का उक्त कब्जा मौके पर अविवादित है, उन मामलों में मानचित्र बी.पी.सी. ॥ (सीपीसी) से तदानुसार संशोधित करवाकर मौके के कब्जे के आधार पर नियमन कर आवंटन पत्र जारी किया जावे।
- 4. सहकारी सिमितियों की आवासीय योजनाओं का जो क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरित किया जा चुका है उसमें कृषि भूमि के आवासीय/वाणिण्यिक नियमन/आवंटन एवं

47

नियमन शिविरों हेतु निर्धारित की गई योजनावार नियमन राशि में कोई भूलचूक रहने अधवा आवेदक द्वारा इस आधार पर नियमन राशि की गणना में कोई भूलचूक रहने की स्थित में अधिक/कम जहाँ राशि शिविर में लौटाई/वसूली जा सकेगी। इसी प्रकार यदि किसी मामले में न्यायिक विवाद होने या अन्य किसी कारण से निर्यामतीकरण की कार्यवाही संभव नहीं पाई जावेगी तो जमा अग्रिम राशि आवेदक के प्रार्थना पत्र पर 9 प्रतिशत व्याज सहित लौटा टी जावेगी। यदि किसी आवेदक द्वारा नियमन राशि के पेटे स्विनिर्धारण के कारण अधिक राशि जम। कराई जावेगी तो रिफण्डेवल (Refundable) राशि का प्राधिकरण की लीज राशि अथवा अन्य देय राशि के पेटे समायोजन किया जा सकेगा।

आज़ा से

( श्रीराम मीणा ) उपशासन सचिव